

आनन्द लाल बनर्जी,
आई.पी.एस.



पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,

1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 25, 2014

प्रिय महोदय/महोदया,


अवगत कराना है कि सचिव, भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली के अर्द्धशा पत्र संख्या-6-14/2013-FM दिनांकित-21-07-2014 द्वारा भारत से पड़ोसी देशों को की जा रही रासायनिक खादों की तस्करी रोकने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में भी इस मुख्यालय द्वारा परिपत्र निर्गत किया जा चुका है, किन्तु विगत कुछ समय से रासायनिक खादों की हो रही तस्करी की घटनाओं के दृष्टिगत यह आवश्यक हो जाता है कि खादों की तस्करी रोकने के संदर्भ में त्वरित कार्यवाही करते हुए सर्तकता बरती जाए जिससे इस अपराध पर प्रभावी अंकुश लग सके। विगत कुछ वर्षों से रासायनिक खादों के मूल्य में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में आशातीत वृद्धि हुई है तथा अनुदानित मूल्य कम होने के कारण रासायनिक खादों की तस्करी की आशंका बढ़ गयी है।

3. आप संज्ञानित हैं कि सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान के कारण हमारे देश में रासायनिक खादों के खुदरा मूल्य व अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में काफी अन्तर है। हमारी काफी लम्बी स्थलीय सीमा अन्य देशों से मिलती है, जिससे इस बात की पूरी सम्भावना बनी रहती है कि मूल्यों में अन्तर के कारण हमारे देश से खाद की तस्करी विदेशों को की जा रही हो। साथ ही सब्सीडाइज्ड फर्टीलाइजर का कारखानों में तथा गैर कृषि कार्यों हेतु प्रयोग किये जाने की भी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। रासायनिक खाद की सीमावर्ती देशों को तस्करी होने के कारण कृषि क्षेत्रों में इसकी काफी कमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

4. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में सब्सीडाइज्ड फर्टीलाइजर की पड़ोसी देशों को की जा रही तस्करी की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(आनन्द लाल बनर्जी) 25/08/14

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र० लखनऊ।
- 2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।